

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)**  
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या: 32/2024

**अपीलार्थी**

लवजीराम पुत्र देवा जी, जाति-भील, निवासी-दानपुरा, तह. रेवदर व जिला- सिरोही

बनाम

**प्रत्यर्थी**

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, मण्डार, तह. रेवदर, जिला- सिरोही

**“अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956”**

**उपस्थिति:**

1. अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, अपीलार्थी की ओर से
2. परोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 26 दिसम्बर, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा प्रकरण संख्या 172/2024 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 12.2.2024 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 09.12.2024 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नामा ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की मंशा व प्रकृति को समझने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर मनमाने रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मण्डार अपने मुकदमें को साबित करने में पूर्णतः विफल रहे हैं, विधि का यह सर्वमान्य एवं सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी अपने पैरों पर खड़ा हों, अर्थात् प्रार्थी को अपना केस साबित करना था, अप्रार्थी की कमी या कमजोरी का लाभ प्रार्थी प्राप्त नहीं कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ण अनदेखी कर अपीलार्थी को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिए बिना ही निर्णय पारित कर अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश पारित करने में भूल की है। अपीलार्थी के विरुद्ध जो कार्यवाही अमल में लाई गई है उसमें ग्राम मंडार के खसरा संख्या 189 कुल रकबा 8.11 किस्म गोचर में से 0.10 बीघा भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई व जवाब आदि पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मण्डार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मण्डार की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का निर्णय .....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर  
सिरोही (राज.)



पारित किया है। जबकि अपीलार्थी पिछले कई वर्षों से ग्राम दानपुरा में वादग्रस्त भूमि पर निवास करता आ रहा है। अपीलार्थी के बाप दादाओं से उक्त खसरे पर अनवरत एवं ग्राम पंचायत, मण्डार की देखरेख में एवं उनकी जानकारी में पिछले कई वर्षों से निवासरत है। अपीलार्थी के ग्राम दानपुरा में राशन कार्ड एवं मौलिक अधिकारों के तहत विद्युत विभाग में डिमाण्ड राशि जमा करवाकर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया है एवं भूमि पर गत 50 वर्षों से अपने बाप दादाओं के समय से निवासरत है एवं इस भूमि पर आवासीय कच्चा/पक्का मकान का निर्माण करवाया है जिसमें अपीलार्थी ने काफी रकम खर्च की है तथा इस भूमि पर बने हुए आवासीय मकान में अपीलार्थी अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। यह कि ग्राम पंचायत एवं अधीनस्थ न्यायालय, अपीलार्थी निर्णय की आड़ में अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतु आमदा है, यदि अपीलार्थी को वादग्रस्त आवासीय मकान की भूमि से बेदखल किया जाता है तो अपीलार्थी व उसका परिवार रोड़ पर आ जायेगा। अपीलार्थी के पास अन्य कोई आवासीय भूमि नहीं है। अपीलार्थी गरीब व कमजोर वर्ग का व्यक्ति है। ग्राम पंचायत, मण्डार में कई लोगों के मकान गोचर भूमि पर बने हुए हैं उनके विरुद्ध ग्राम विकास अधिकारी और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को ही वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर हटाने हेतु आमदा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8054/2024 व एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8191/2024 में ग्राम ओड़वाडा, ग्राम पंचायत, ओड़वाडा, तहसील- आहोर, जिला जालोर में गोचर भूमि पर बने पक्के मकानों को हटाने और बेदखल करने पर रोक लगाई हुई है तथा राज्य सरकार द्वारा गोचर भूमि को अन्यत्र आवंटन करने हेतु प्रक्रिया विचाराधीन है। यह प्रकरण भी ग्राम ओड़वाडा की तरह का ही है। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध नरमाई का रुख अपनाते हुए अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 12.2.2024 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेटोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा संवत् 2080 में अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त विवादित भूमि जो गोचर भूमि है पर अतिक्रमण करने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मण्डार में प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर विधिवत कार्यवाही करते हुए बाद जांच अपीलार्थी का वादग्रस्त गोचर भूमि पर अतिक्रमण पाया जाने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा संवत् 2080 में ग्राम मण्डार के खसरा संख्या 189 कुल रकबा 8.11 बीघा भूमि किस्म गोचर भूमि में से रकबा 0.10 बीघा गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व बाडा बनाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्दी में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई तिथि 12.2.2024 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ, लेकिन अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व रेकॉर्ड अनुसार ग्राम मण्डार के खसरा संख्या 189 रकबा 8.11 बीघा किस्म गोचर भूमि  
....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)



है एवं अपीलार्थी द्वारा ग्राम मण्डार के उक्त खसरा संख्या 189 रकबा 0.10 बीघा किस्म गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज योग्य है।

**आदेश**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर-ए-ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सिरोही

